



जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार



**बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार**

विद्युत भवन - 2, बेली रोड, पटना - 800 021, दूरभाष: +91-612-250 4980, फैक्स: +91-612-250 4960, वेबसाइट: www.brpls.in

Ref NO: - BRLPS/PROJECT/485/13/2307

Date: 21.09.21

कार्यालय आदेश

**स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता अंतर्गत सामुदायिक उत्प्रेरक (CM) की सेवाओं का अवधि विस्तार
और प्रोत्साहन राशि में वृद्धि**

कार्यालय आदेश संख्या BRLPS/Project/485/13/1423, दिनांक 17.08.15 एवं कार्यालय आदेश संख्या BRLPS/Project/485/13/934, दिनांक - 21.06.2019 के द्वारा सामुदायिक उत्प्रेरकों को स्वयं सहायता समूह की प्रथम साप्ताहिक बैठक में स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करने का अतिरिक्त कार्य भार दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें लक्षित लाभार्थियों के यहाँ गृह भ्रमण, समय-समय पर अभियान का आयोजन, अन्नप्राशन दिवस एवं आरोग्य दिवस में लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित कराने का दायित्व भी दिया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, समुदाय स्तर पर व्यवहार में परिवर्तन आया है, विशेष कर बच्चों एवं माताओं के खान-पान, शौचालय के उपयोग आदि में। इन कार्यों को सम्पादित करने के लिए उन्हें प्रति माह ₹ 300/- मात्र प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जब पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है एवं लोगों को सुरक्षित दूरी अपनाने तथा घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है, सामुदायिक उत्प्रेरकों को भी स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता से जुड़े हुए कार्यों के सम्पादन में सूचना सम्प्रेषण हेतु नवीन तकनीक (मोबाइल/ डिजिटल माध्यम इत्यादि) अपनाने की आवश्यकता है, ताकि कम समय में समुदाय तक अपेक्षित सूचना/ सन्देश प्रभावी रूप से पहुँच सकें।

सामुदायिक उत्प्रेरक के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं:-

सामुदायिक उत्प्रेरक द्वारा किये जाने वाले कार्य	कार्य हेतु दी जाने वाली राशि
स्वयं सहायता समूह की बैठकों में फ्लिप चार्ट एवं मोबाइल या अन्य समरूप उपकरण के माध्यम से चर्चा करना एवं सम्बंधित वीडियो का प्रदर्शन	₹ 200/- प्रति माह
लक्षित लाभार्थियों के यहाँ गृह भ्रमण, समय-समय पर अभियान का आयोजन, अन्नप्राशन दिवस एवं आरोग्य दिवस में लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना	₹ 200/- प्रति माह
कुल	₹ 400/- प्रति माह


(Handwritten signature)

सामुदायिक उत्प्रेरकों को पूर्व के कार्यों सहित तथा नवीन तकनीक (मोबाइल/ डिजिटल माध्यम इत्यादि) के उपयोग हेतु पत्र निर्गत होने की तिथि से कुल ₹ 400/- मात्र प्रति माह की दर से प्रोत्साहन राशि देय होगी।

माह के अंत में सामुदायिक उत्प्रेरक एच. एन. एस. ऐप (HNS app) या एच. एन. एस. रजिस्टर में अपनी उपलब्धियों की प्रविष्टि कर ग्राम संगठन को समर्पित करेंगी। ग्राम संगठन के अनुमोदनोपरांत उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

यह व्यवस्था दिनांक 1.09.21 से 28.02.2023 तक प्रभावी रहेगी।

वित्तीय प्रावधान : इस मद में होने वाले खर्चों को बी.टी.डी.पी. प्रखंडों में 'कॉम्पोनेन्ट 3 एच.एन. एस. बी.सी.सी. (HNS BCC)' के अंतर्गत वहन किया जायेगा तथा अन्य परियोजनाओं एन.आर.ई.टी.पी./ एन.आर.एल.एम में 'आई.बी.सी. बी. कैडर भुगतान' मद से वहनीय होगा।


21.09.2021

(कुमार अंशुमाली)

निदेशक

ज्ञापांक- BRLPS/PROJECT/485/13/2307

दिनांक - 21.09.2021

प्रतिलिपि : प्रखंड परियोजना प्रबंधक/ प्रबंधक- स्वस्थ एवं पोषण / प्रबंधक - वित्त को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ।

प्रतिलिपि : सभी जिला परियोजना प्रबंधक को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी परियोजना प्रबंधक को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : परियोजना समन्वयक- वित्तीय समावेशन और GKM को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी, जीविका, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।